न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत शिविर बिजौलियां केम्प भोपतुपरा बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः—170/2016 दायर तारीख 11.11.2016
46/2018 10.04.2018

कन्हैयालाल पिता भवाना जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी खेराडिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....विपक्षी

उपस्थितः—
धनश्याम धाकड अधिवक्ता वादी

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम**

:—निर्णयः— दिनांक 15.06.2018

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरुद्व विपक्षीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम खेराडिया प0ह0 लक्ष्मीखेडा की खाता संख्या 45 पर अंकित आ0नं0 9, 10, 12, 327/128 कुल किता 4 रकबा 8—10 बीघा एंव खाता संख्या 46 पर आ0नं0 164 पर 3—03 बीघा कुल किता 1 रकबा 3—03 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम पर शामलाती में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है एंव मौजा ग्राम चैनपुरिया की खाता संख्या 82 पर अंकित आ0नं0 400 पर रकबा 26—00 बीघा कुल किता 1 रकबा 26700 भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम किशना पिता भवाना दर्ज कर रखा है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम कन्हैयालाल पिता भवाना जाति बलाई निवासी खेराडिया है। आराजीयात पूर्व में प्रार्थी के पिता भवाना पिता देबी बलाई के नाम पर दर्ज रिकार्ड थी। प्रार्थी के पिता का देहान्त हो जाने के बाद उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 208 दिनांक 27.06.2006 जमाबंदी सम्वत् 2055—2058 एंव नामान्तरकरण दिनांक 13.06.2000 जमाबंदी समवत् 2053—2056 को खोला गया उक्त नामानतरकरण खोलते वक्त राजस्व कर्मचारीयों ने बिना कोई जांच किये प्रार्थी को सुने बिना नामान्तरकरण खोल दिया जिसमें प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल पिता भवाना के बजाय किशना पिता भवाना दर्ज कर दिया जो सर्वथा गलत है जबकि प्रार्थी का वास्तविक एंव सही नाम कन्हैयालाल पिता भवाना बलाई निवासी खेराडिया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.10.2016 को उक्त खाते की नकले ली तो प्रार्थी को उक्त त्रुटी की जानकारी हुई। वर्णित कृषि आराजीयात में राजस्व कर्मचारीयों द्वारा सही जानकारी किये बिना ही मुझ प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल पिता भवाना बलाई के बजाय किशना पिता भवाना बलाई अंकित कर दिया गया है जबकि मेरा सभी जगह रिकार्ड में मेरा नाम कन्हैयालाल पिता भवाना बलाई है। पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड, विद्यालय की अंक जातिका, जाति व मूल निवासी प्रमाण पत्र में कन्हैयालाल पिता भवाना बलाई है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा मुझ प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि विरासत का इंतकाल खोलते समय सेवन से सही छानबिन किये बिना ही मेरा नाम राजस्व

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण की तलवी जरिये समन नय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवाई गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज सूची में अंकित दसतावेजात नकल जमाबंदी ग्राम खेराडिया सम्वत् 2055–2058, नकल नामान्तरकरण संख्या 208, नकल जमाबंदी ग्राम चैनपुरीया सम्वत् 2053 – 2056, नकल नामान्तरकरण ग्राम चैनपुरीया संख्या 345 एंव जमाबंदी ग्राम खेराडिया सम्वत् 2071, नकल जमाबंदी ग्राम खेराडिया सम्वत् 2071 की प्रति, नकल जमाबंदी ग्राम चैनपुरीया सम्वत् 2069, आधार कार्ड की फोटोप्रति, राशनकार्ड, परिक्षा परिणाम कक्षा 5 की फोटोप्रति, जाति एंव मूल निवास की फोटोप्रति, दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र किया।

प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर मेरिट पर निर्णय शिविर में किये जाने हेतु उभयपक्षो ने सहमती व्यकत की जिससे निर्णय शिविर में करने हेतु प्रकरण विचारार्थ रखा गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया।

ग्राम खेराडिया की जमाबंदी सख्या 64 पर अंकित भवाना पिता देबी बलाई सा0 देह खातेदार आ0नं0 164 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा किस्म बंजड नहरी दर्ज होकर विशेष विवरण के कॉलम में नामान्तरकरण संख्या 208 दिनांक 27.06.2000 विरासत से भवाना के बजाय भूरा, चंदा, भवाना, किशना पिता भवाना सूरज पुत्री भवाना, गंगा बैवा भवाना, फोरीया, छोटू, कैलाश पिता भीमा, नंद कंवरी बैवा भीमा बलाई के नाम विरासत से वर्ष 2000 में नामान्तरकरण निर्णित हुआ तभी से राजस्व रिकार्ड में किशना चला आ रहा है। नामान्तरकरण निर्णित हुये 18 वर्ष हो चुके है। इतने लम्बे समय तक नाम को दुरुस्त करवाने की कार्यवाही क्यो कर नही की गई। विरासत से यदि प्रार्थी का नाम गलत दर्ज हुआ है तो उसी समय प्रार्थी को गलत नामान्तरकरण के विरुद्व सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहीये थी। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 के तहत श्रवण योग्य नही है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ प्रेषित की जावे। क्तानुसार पालना की जावे।

आदेश आज दिनांक 15.06.2018 को भोपतपुरा मुकाम लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी